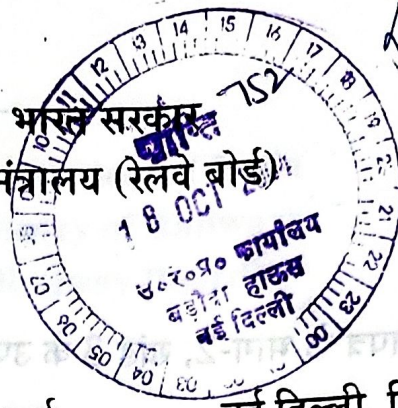


भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)



शु.रा.दि.

सं. हिंदी - 2003/रा.भा.1/12/3 पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक 14.10.2004

### अधिसूचना

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), राजभाषा नियम 1976 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुसरण में उत्तर रेलवे के निम्नलिखित रेल कार्यालयों को, जहां 80% से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद्वारा अधिसूचित करता है।

#### उत्तर रेलवे

|    |                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | उप मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर (माइक्रोवेव), मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, नई दिल्ली |
| 2. | कारखाना बिजली इंजीनियर, बिजली वर्कशाप, दयाबस्ती                                         |
| 3. | वरिष्ठ इंजीनियर, बट वैल्विंग प्लांट, मेरठ कैंट                                          |
| 4. | मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/यात्री प्रबंधन, आई.आर.सी.ए.बिल्डिंग, नई दिल्ली                    |
| 5. | जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी, लखनऊ                                                |

(वी.एन. माथुर)  
सचिव, रेलवे बोर्ड

भारत के राजपत्र के भाग-2, खंड 3 के उपखंड-11 के प्रकाशनार्थ.

( जे.एन.भाटिया )

संयुक्त निदेशक, राजभाषा

रेलवे बोर्ड

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, रिंग रोड,

नई दिल्ली

प्रतिलिपि :-

1. महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली.
2. महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन कारखाने (उत्तर रेलवे को छोड़कर)
3. रेल मंत्रालय के संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुख.
4. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली.
5. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली.

( प्रमुख, नई दिल्ली )

हार्दिक शर्मा, प्रमुख

## उत्तर रेलवे

प्रधान कार्यालय,  
बड़ौदा हाउस,  
नई दिल्ली ।

दि. /11/2004

सं. 843-ई/147/रा.भा.अ./ई-7/भाग-।।

सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली ।  
मंडल रेल प्रबंधक, उ.रे., नई दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ, फिरोजपुर एवं अम्बाला ।  
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उ.रे., जगाधरी एवं चारबाग-लखनऊ ।  
मुख्य कारखाना प्रबंधक, सिगनल वर्कशाप, गाजियाबाद ।  
निर्माण प्रबंधक, उ.रे., कालका ।  
उप मुख्य इंजी., पुल कारखाना, उ.रे., जलंधर छावनी, चारबाग-लखनऊ ।  
उप मुख्य यांत्रिक इंजी., आलमबाग-लखनऊ, अमृतसर ।  
लेखा अधिकारी (यां.ले.) उ.रे., जलंधर शहर ।  
प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, चंदौसी एवं पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, चारबाग-लखनऊ ।  
प्रधानाचार्य, ओक ग्राव स्कूल, झडीपानी मंसूरी हिल्स, देहरादून ।  
प्रधानाचार्य, सिगनल प्रशिक्षण केन्द्र, गाजियाबाद ।  
वरिष्ठ प्रबंधक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, शकूरबस्ती ।  
उप मुख्य लेखा अधिकारी (या.ले.), स्टेट एण्ट्री रोड, नई दिल्ली ।  
उप भंडार नियंत्रक, शकूरबस्ती, आलमबाग-लखनऊ एवं जगाधरी वर्कशाप ।  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण, कश्मीरी गेट, दिल्ली ।  
मुख्य दावा अधिकारी एवं उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/वाराणसी ।  
मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, स्टेट एण्ट्री रोड, नई दिल्ली ।  
कारखाना बिजली इंजीनियर, बिजली वर्कशाप, दयाबस्ती ।  
उप मुख्य लेखा अधिकारी/कैश, बहुमंजिली भवन, नई दिल्ली ।  
वरिष्ठ इंजीनियर, वट बैल्टिंग प्लांट, मेरठ कैंट ।  
मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/पी.एम./आई.आर.सी.ए. बिल्डिंग, नई दिल्ली ।  
उप मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजी./माइक्रोवेव, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, नई दिल्ली ।  
प्रधानाचार्य, जगजीवनराम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी, लखनऊ ।

## विषय:- अधिसूचना ।

उपर्युक्त विषय पर रेलवे बोर्ड के दि. 14.10.04 के पत्र सं. हिंदी/2003/रा.भा./1/12/3/पार्ट की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है । उक्त पत्र में उत्तर रेलवे के कुछ मंडलेतर कार्यालयों जहां 80% से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को राजभाषा नियम-1976 के उपनियम(2) और (4) के अनुसरण में अधिसूचित करने का उल्लेख है ।

संलग्न/यथोक्त

कृते महाप्रबंधक/राजभाषा